न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

वाद संख्या :— 03 / 110 / 2018

1. वीरेन्द्र सिंह पुत्र मूलसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी 28 भुनेश्वरी वाटिका विस्तार सिरसी रोड पॉच्या वाला जयपुर ..

.... प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित : श्री धर्मेन्द्र सिंह जैसावत एडवोकेट :— प्रार्थी

निर्णय दिनांक

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेंश कर निवेदन किया की प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल ख0नं0 153 / 929 रकबा 0.94 हैक्ट0 वाके ग्राम लोसल तहसील राजगढ में स्थित है। जिस पर प्रार्थीनी काबिज होकर काश्त करती है। उक्त आराजी का साबिक ख0नं0 40, 41, 49, 53 ग्राम लोसल में काबिल काश्त बारानी आराजी शुरू से रही है। जिसमें हमेशा काश्त होती रही है। मौके पर कोई गै0मु0 राडा नही है। मगर ग्राम लोसल का बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में हुआ तो बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने रिकार्ड व मौके के खिलाफ विवादित आराजी हाल ख0नं0 153 / 929 रकबा 0.94 को किस्म गै0मु0 राडा दर्ज कर दिया। जबकि मौके पर राडा नही है न ही वन विभाग की भूमि है। पूर्व में आराजी हरफूल वगै0 की खातेदारी की थी। जिसे अप्रार्थी ने खरीद करली है व काबिज खातेदार है। बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था। प्रार्थी की इस आराजी के किस्म गै0मु0 राडा होने से प्रार्थी के अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। इस प्रकार की गलती एक लिपिकीय त्रुटि या पैन की स्लिप के कारण बन्दोबस्त विभाग ने किस्म परिवर्तन की है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर हाल आराजी ख0नं0 153 / 929 रकबा 0.94 हैक्ट0 वाके ग्राम लोसल तहसील राजगढ की किस्म गै0मु0 राडा शब्द को हटाकर पूर्व के अनुसार किस्म बारानी अब्बल दर्ज करने का निवेदन किया। पुष्टि में दस्तावेज जमाबंदी हाल सम्वत् 2072 से 2075 खाता संख्या 129 वाके ग्राम लोसल मिलान क्षेत्रफल 2046 और जमाबंदी सम्वत् 2032 खाता संख्या 112 वाके ग्राम लोसल पेंश की गई।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण तहसीलदार राजगढ से जॉच रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील प्रार्थी के आग्रह पर बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यो को दोहराते हुये उल्लेख किया की हाल आराजी ख0नं0 153 / 929 रकबा 0.94 हैक0 वाके ग्राम लोसल तहसील राजगढ में स्थित है। जिसका मुताबिक जमावबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अंकित इन्द्राज के अनुसार प्रार्थी खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी की किस्म गै0मु0 राडा दर्ज है। जबकि उक्त हाल आराजी साबिक ख0नं0 40, 41, 49, 53 ग्राम लोसल तहसील राजगढ से बने है। जिसकी पुष्टि संलग्न मिलान क्षेत्रफल 2046 के इन्द्राज से होती है। यह है कि साबिक ख0नं0 40, 41, 49,

53 ग्राम लोसल तहसील राजगढ के पूर्व खातेदार हरफूल वगै0 थे। जिनसे उक्त आराजी प्रार्थी द्वारा क्रय की गई थी तथा उक्त साबिक आराजी की किस्म बारानी अब्बल दर्ज थी जिसकी पुष्टि संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2032 खाता संख्या 112 वाके ग्राम लोसल के अंकित इन्द्राज से होती है। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उक्त जॉच रिपोर्ट में भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की सही होने की पुष्टि होती है तथा तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट में भी साबिक के अनुसार किस्म दुरूस्त किया जाना उचित दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थी सही होने की पुष्टि होती है। बन्दोबस्त विभाग सम्वत् 2046 के द्वारा जो किस्म बारानी अब्बल के स्थान पर गै0मु0 राडा दर्ज किये है वह एक लिपिकीय त्रुटि या पैन ऑफ स्लीप है जो साबिक अनुसार काबिल दुरूस्त योग्य है। आराजी वर्तमान में काबिल काश्त है मौके पर कोई राडा नही है। अतः में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया।

मैने बहस वकुलाय पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमावबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अंकित इन्द्राज के अनुसार प्रार्थी हाल ख0नं0 153/929 रकबा 0.94 हैक्ट0 वाके ग्राम लोसल तहसील राजगढ का खातेदार है तथा उक्त आराजी की किस्म गै0मु0 राडा दर्ज है। प्रार्थी का यह कथन की उक्त हाल ख0नं0 साबिक ख0नं0 40, 41, 49, 53 से बना है। उक्त तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 के अंकित इन्द्राज से होती है। प्रार्थी का यह कथन की साबिक आराजी 40, 41, 49, 53 वाके ग्राम लोसल के पूर्व खातेदार हरफूल वगै0 थे तथा उक्त आराजी की किस्म बारानी अब्बल थी। इस तथ्य की पुष्टि भी प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2032 खाता संख्या 112 वाके ग्राम लोसल के अंकित इन्द्राज से होती है। तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट में भी अंकित किया है कि हाल ख0नं0 153/929 रकबा 0.94 हैक्0 का खातेदार प्रार्थी है तथा उक्त आराजी साबिक ख0नं0 40, 41, 49 से बना है साबिक ख0नं0 40, 41,49 की किस्म बारानी अब्बल, बंजड अब्बल है। साबिक रिकार्ड के अनुसार हाल ख0नं0 153/929 की किस्म साबिक के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार तहसीलदार राजगढ द्वारा भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यो को स्वीकार करते हुये साबिक के अनुसार किस्म गै0मु0 राडा के स्थान पर बारानी अब्बल दुरूस्त किया जाना उचित दर्शाया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ से यह तथ्य साबित होता है कि इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग की यह गलती एक लिपिकीय त्रुटि या पैन की स्लीप के कारण होना साबित होती है जो साबिक के अनुसार काबिल दुरूस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दस्तावेजात से व रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ से सही होने की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट हाल ख0नं0 2181153/929 रकबा 0.94 हैक्ट0 वाके ग्राक लोसल तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है। हाल रिकार्ड जमाबंदी में उक्त आराजी की अंकित किस्म गै0मु0 राडा को हजफ किया जाकर साबिक के अनुसार किस्म बारानी अब्बल दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार राजगढ को दिये जाते है। प्रार्थी उक्तानुसार हाल रिकार्ड में किस्म गै0मु0 राडा को हजफ कराकर बारानी अब्बल किस्म दुरूस्त कराने के अधिकारी है। तहसीलदार राजगढ को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावें।

निर्णय आज दिनांक .... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official